

कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश
जिला भोपाल-सीहोर-रायसेन, मध्य प्रदेश
कचनार ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कॉलोनी,, भोपाल-462016
E-mail: bhopal@mptownplan.gov.in

क्रमांक बीपीएलएलपी-5085/एल.पी.114/29(3)/जिका.भो./2018 भोपाल,दिनांक /01/2019
प्रति,

मैसर्स श्री बालाजी बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स
द्वारा श्री संजीव अग्रवाल आत्मज श्री एस. के. अग्रवाल
250, सागर प्लाजा, एम. पी. नगर, जोन-2,
भोपाल, म. प्र.

विषय - ग्राम दामखेड़ा (अयोध्या बायपास), तहसील-हुजूर, जिला-भोपाल के खसरा क्रमांक-148/1/3/1, 148/1/3/3, 148/1/3/6, 149/3/1/ख कुल रकबा 0.606 हेक्टेयर (6060.00 वर्गमीटर) भूमि पर स्थानीय दुकान केन्द्र हेतु स्थल अनुमोदन बाबत।

परियोजना का नाम:- "सागर हाई स्ट्रीट"

संदर्भ:- आपका का आवेदन दिनांक 26.11.2018 एवं कार्यालय द्वारा जारी अनुज्ञा पत्र क्रमांक बीपीएलएलपी 393/एलपी-71/29/नग्रानि/2014 भोपाल दिनांक 06.08.2015 एवं बीपीएलएलपी 3515/एल.पी.70/29(3)/जिका/नग्रानि/2018 भोपाल,दिनांक 10/11/2017.

---0---

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है ग्राम दामखेड़ा (अयोध्या बायपास), तहसील-हुजूर, जिला-भोपाल के खसरा क्रमांक-148/1/3/1, 148/1/3/3, 148/1/3/6, 149/3/1/ख कुल रकबा 0.606 हेक्टेयर (6060.00 वर्गमीटर) जिसका भूमि उपयोग भोपाल विकास योजना 2005 में "वर्तमान आवासीय एवं मार्ग" निर्दिष्ट है। जिस पर बीपीएलएलपी-393/एलपी-71/29/ नग्रानि/ 2014 भोपाल दिनांक 06.08.2015 एवं बीपीएलएलपी 3515/एल.पी.70/29(3)/जिका/नग्रानि/2018 भोपाल,दिनांक 10/11/2017 को विकास अनुज्ञा प्रदान की गई थी, संदर्भित पत्र के साथ प्राप्त मैसर्स, श्री बालाजी बिल्डर्स एवं डेवलपर्स, सागर प्लाजा, 250 जोन-1, एम. पी. नगर भोपाल के आवेदन धारा 29 (3) में उक्त अनुज्ञा में उपांतरण हेतु उक्तावेदन में परिपेक्ष्य में वं मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 14 (3) (तीन) के अंतर्गत दिनांक 08.12.2018 को दो समाचार पत्रों में निर्धारित प्रारूप में सूचना का प्रकाशन किया गया। सूचना में उल्लेखित कालावधि में कई आक्षेप, सुझाव या दावा प्राप्त हुये थे। परीक्षणोंपरांत भोपाल विकास योजना 2005 की सारणी 4-सा-17 (7) के अनुसार आवासीय उपयोग में स्थानीय दुकान केन्द्र गतिविधि विकास हेतु भोपाल विकास योजना, 2005 एवं मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30 (1) (ख) एवं मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 27(1) प्रावधानों अनुसार विकास अनुज्ञा के अधीन निम्न शर्तों के आधार पर प्रदान की जा रही है :-

1. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 21 के परिपेक्ष्य में विकास अनुज्ञा हेतु आवेदन शुल्क रूपये 5000/- चालान (सीआरएन) क्रमांक-MPT021722112018000032 दिनांक 22.11.2018 तथा विकास अनुज्ञा शुल्क रूपये 45750/-चालान (सीआरएन) क्रमांक- MPT021728122018000073 दिनांक 28.12.2018 सायबर ट्रेजरी द्वारा जमा किये गये एवं अंतिम सत्यापन के अध्यक्षीन है यदि आपके द्वारा भुगतान किये गये शुल्क की गणना में कोई त्रुटि परिलक्षित होती है तो शेष अंतर की राशि राजस्व बकाया के रूप में वसूलनीय होगी।

2. इस कार्यालय एवं राजस्व विभाग द्वारा किये गये स्थल पर सीमांकन (बाहरी सीमाओं) दिनांक 05.12.2018 में दर्शित माप एवं स्थिति के आधार पर ही मान्य होगी।
3. भवन का भूतल निर्मित क्षेत्र 30 प्रतिशत अधिकतम मान्य होगा।
4. भवन में संलग्न मानचित्र में दर्शाए अनुसार एम ओ एस रखे जावे। बहुमंजिला भवन में सामने से 9.0 मीटर, पीछे से 6.0 मीटर (न्यूनतम), दायें से 6.0 (न्यूनतम) मीटर एवं वायें 6.0 मीटर (न्यूनतम)।
5. एफ.ए.आर 1:1:0 (एक अनुपात एक दशमलव शून्य) अधिकतम तथा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार भवन की अधिकतम उंचाई मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार होगा (24.0 मीटर + बेंसमेंट)
6. पार्किंग :- स्थानीय दुकान हेतु एक ई सी एस प्रति 50.0 वर्ग मी. निर्मित क्षेत्र की दर से 121 ई सी. एस की आवश्यकता होगी। बेंसमेंट में 35.0 वर्गमीटर प्रति कार के मान से 98 ईसीएस एवं पोडियम में 30.0 वर्गमीटर प्रति कार के मान से 23 ईसीएस का प्रावधान रखा है।
7. भोपाल विकास योजना 2005 की सारणी 4-सा-17 (7) में उल्लेखित प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना होगा। उपयोग परिसर गतिविधियों में फुटकर, दुरुस्ती एवं व्यक्तिगत सेवा दुकान इत्यादि मान्य होंगे।
8. भोपाल विकास योजना 2005 में परिसरों की परिभाषाएं-16 अनुसार 15000 जनसंख्या हेतु आवासीय क्षेत्र में अधिकतम 75 दुकानों का समूह मान्य होगी।
9. संबंधित संस्था/संबंधित स्थानीय संस्था ग्राम निगम भोपाल को मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 तथा इस अनुज्ञा की शर्तों एवं अन्य समस्त प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना एवं बंधनकारी होगा।
10. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 (4) के प्रावधानों के अनुसार रेनवाटर हार्वेस्टिंग /रूफ वाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया अपनायी होगी। उसके पश्चात ही भूखण्ड पर विद्युत कनेक्शन संबंधित संस्थाओं के द्वारा दिया जा सकेगा।
11. आवेदित स्थल पर एक्स्ट्रा हाईटेंशन/इलेक्ट्रिक लाईन (टावर लाईन) से मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियमानुसार निर्धारित दूरी तक खुला क्षेत्र रखना होगा। उसके नीचे किसी भी प्रकार का [विकास/निर्माण](#) कार्य मान्य नहीं होगा।
12. कार्यालय नजूल अधिकारी राजधानी परियोजना (नजूल) गोविन्दपुरा वृत्त कार्यालय कलेक्टर जिला भोपाल के प्रकरण क्रमांक-271/बी-121/2011-12 भोपाल, दिनांक 06.5.2015 द्वारा जारी अनापत्ति की समस्त शर्तों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
13. भोपाल विकास प्राधिकरण भोपाल के पत्र क्रमांक-466/02/मु.वि/भोविप्रा/13 भोपाल दिनांक 11.07.2013 द्वारा जारी अनापत्ति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
14. सीवेज/ठोस अवशिष्ट को ट्रीटमेंट हेतु निर्धारित क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाना आवश्यक होगा। तत्पश्चात उसको उपचारात्मक तरीके से कालोनी के बगीचे इत्यादि में उपयोग किया जावे। बगैर शोधित किये सीवेज का निकास पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
15. मध्य प्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग के ज्ञापन क्रमांक-एफ-5-23/2003/32 भोपाल दिनांक 14 अक्टूबर, 2005 में उल्लेखित अनुसार भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक- एसओ 801(ई) दिनांक 7 जुलाई, 2004 क परिपेक्ष्य में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के आवेदक संस्था को नियमानुसार ई.पी.ए. एक्ट के तहत संबंधित विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। योजना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक इनवायरमेंट इम्पेक्ट्स अससेमेंट की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तथा भवन अनुज्ञा के पूर्व मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से इस प्रकार का प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे निर्माण के पूर्व ई.आय.ए. क्लीरेंस लेना अनिवार्य होगा।

16. आवेदक संस्था द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार प्रश्नाधीन के आधार पर परियोजना का नाम " सागर हाई स्ट्रीट" रहेगा एवं बगैर लिखित स्वीकृति के इनके कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
17. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 67 के प्रावधानों के अनुसार स्थल पर वृक्षारोपण सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ ही मध्य प्रदेश शासन के आदेश अनुसार 15 वृक्ष प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल के मान से अतिरिक्त वृक्षारोपण किया जाजा अनिवार्य होगा स्थल पर उपरोक्त मान के अनुसार वृक्षारोपण कर या हो यह सुनिश्चित किये जाने के पश्चात ही भवन अनुज्ञा नगर पालिका निगम एवं स्थानीय संस्था द्वारा दी जावें।
18. अनुमोदित अभिन्यास में उल्लेखित मानक भोपाल विकास योजना, 2005 तथा मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानों के अनुरूप ही रहेंगे।
19. मध्यप्रदेश खनिज (अवैध उत्खनन परिवहन भण्डारण का निवारण) नियम 2006 में हुए संशोधन के नियम का पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
20. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 33 के प्रावधानों के अनुरूप यह अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष तक की कालावधि तक प्रवृत्त रहेगी।
21. पूर्व स्वीकृत अनुमोदन पत्र क्रमांक-बीपीएलएलपी-393/एलपी-71/29/नग्रानि/2014 भोपाल दिनांक 06.08.2015 एवं बीपीएलएलपी 3515/एल.पी.70/29(3)/जिका/नग्रानि/2018 भोपाल,दिनांक 10/11/2017 द्वारा स्वीकृत अनुज्ञा का मानचित्र स्वयमेव निरस्त मान्य होगा।
22. पूर्व में जारी पत्र क्रमांक-बीपीएलएलपी-393/एलपी-71/29/नग्रानि/2014 भोपाल दिनांक 06.08.2015 एवं बीपीएलएलपी 3515/एल.पी.70/29(3)/जिका/नग्रानि/2018 भोपाल दिनांक 10/11/2017 द्वारा जारी अभिन्यास अनुमोदन पत्र उल्लेखित शर्तें निम्नलिखित यथावत रहेगी।
 1. निम्न लिखित अधिनियम/नियम/सक्षम अधिकारियों तथा संस्था से अनापत्ति/अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा:-
 1. मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959
 2. लोक निर्माण विभाग।
 3. भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर जिला भोपाल।
 4. अग्निशमन सक्षम अधिकारी।
 5. मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
 6. मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल।
 7. राष्ट्रीय राजमार्ग/राजकीय राजमार्ग प्राधिकारी (राष्ट्रीय राजमार्ग/राजकीय राजमार्ग) से लगी भूमि के विकास की स्थिति में।
 8. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी अधिनियम के अंतर्गत या कोई अनुमति व अनापत्ति की आवश्यकता हो तो वह विकास/निर्माण के पूर्व अनिवार्य रूप से प्राप्त करें।
 2. इस विकास अनुज्ञा के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु भूमि परिवर्तन अथवा किसी भी प्रकार से भूमि का उप विभाजन मान्य नहीं होगा।
 3. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81(4) के प्रावधानों के अनुसार रेनवाटर हार्वेस्टिंग / रूफ वाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया अपनायी होगी। उसके पश्चात ही भूखण्ड पर विद्युत कनेक्शन संबंधित संस्थाओं के द्वारा दिया जा सकेगा।
 4. परिसर में जनित होने वाले पार्किंग की व्यवस्था परिसर के भीतर ही की जाना एवं करना अनिवार्य होगा।
 5. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42(3) के अनुरूप नेशनल बिल्डिंग कोड भाग-4, में दी गई अनुशंसा के अनुरूप अग्निशमन व्यवस्था कर अग्नि प्राधिकारी से अनापत्ति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। अग्निशमन संबंधी उपायों की नियमानुसार व्यवस्था सुनिश्चित करने के उपरांत ही दखलकारी अनुज्ञा पत्र जारी किया जाये।
 6. दमकल (फायर इंजिन) तक सुगम पहुंच अनुज्ञात करने के लिए भूखण्ड के मुख्य प्रवेश की चौड़ाई पर्याप्त होगी और जो किसी भी स्थिति में 4.5 मीटर से कम न हो। प्रवेश द्वार फाटक भीतर की ओर की अहाता दीवार के सामने इस प्रकार खुलने चाहिए जिसमें अग्निशमन सेवा यानों के संचालन के लिए भूखण्ड में

- बाहरी पहुँच मार्ग निर्बाध हो यदि मुख्य प्रवेश द्वारा अहाता दीवार पर बनाया जाता है तो उसकी न्यूनतम खुलने वाली जगह 4.5 मीटर रखना होगी।
7. भवन और उसके चारों ओर के खुले स्थानों को जाने वाला मार्ग पहुँच मार्ग 6.0 मीटर चौड़ा होगा और उसका अभिन्यास सरकार द्वारा अनुमोदित किये अनुसार शहर के अग्निशमन प्राधिकारी के परामर्श से प्रस्तावित किया जायेगा और उसकी सतह आवश्यकतानुरूप सख्त होगी जो 18 टन के दमकल (फायर इंजिन) का भार सहन करने योग्य हो उक्त खुली जगह बाधाओं से मुक्त रखी जायगी और मोटर के आने जाने योग्य होना आवश्यक होगी।
 8. संस्था/आपके द्वारा प्रस्तुत अक्स/बटान में किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी ही होगी।
 9. प्रस्तावित अभिन्यास के आस पास लगी हुई भूमि की सीमाओं पर निर्मित एवं प्रस्तावित अनुमोदित मार्गों की निरंतरता सुनिश्चित रखी जायें एवं भूखण्डों का समायोजन किया जावे।
 10. भोपाल विकास योजना 2005 एवं मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 में उल्लेखित बहु इकाई आवासीय विकास हेतु निर्धारित समस्त मापदण्डों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
 11. विभिन्न नागरिक सुविधाओं (सर्विसेस) हेतु इस अभिन्यास में जो जगह प्रस्तावित की गई है, उनमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ओव्हर, हेड टैंक, गारबेज डिस्पोजल एवं कॉलोनी का कचरा इकट्ठा कर उसका निष्पादन किया जावे।
 12. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 67 के प्रावधानों के अनुसार स्थल पर वृक्षारोपण सुनिश्चित किया जाये। स्थल पर विद्यमान वृक्षों को यथावत रखना होगा।
 13. विकास अनुमति जारी करने के पूर्व भूमि स्वामित्व संबंधी परीक्षण कर लिया जाये। इस संबंध में प्रस्तुत अनुबंध/पावर ऑफ अटॉर्नी/अधिकार पत्र इत्यादि की वैधानिकता का परीक्षण करने के उपरांत ही विकास अनुमति जारी की जाये।
 14. मध्य प्रदेश खनिज (अवैध उत्खनन परिवहन भण्डारण का निवारण) नियम 2006 में हुए संशोधन के नियम का पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
 15. अनुमोदित मानचित्र की सत्यापित प्रति मय आदेश के स्थल पर विकास कार्य के दौरान रखना आवश्यक होगा।
 16. यह अनुज्ञा अहस्तांतरणीय होगी तथा अनुज्ञप्त उपयोग के अतिरिक्त अन्य उपयोग मान्य नहीं होंगे।
 17. संलग्न मानचित्र में प्रश्नाधीन स्थल की सीमा तक दर्शाये गये मार्गों की निरंतरता सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा। अतः स्थल पर स्थित मार्गों को गेट अथवा बाउण्ड्रीवाल से अवरुद्ध न किया जावे, इसे मान्य नहीं किया जावेगा।
 18. स्थल पर अनुमोदन संबंधी जानकारी एक 1.50 X 1.25 मीटर साईज के बोर्ड पर भी अंकित करना अनिवार्य होगा।
 19. किसी भी प्रकार का ठोस अपशिष्ट, परिसर के आसपास भूमि पर फेंकना/फैलाना प्रतिबंधित रहेगा।
 20. संस्था एवं नगर पालिका निगम भोपाल को मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 तथा अन्य समस्त प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
 21. यह अनुमति आवेदक द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत शपथ पत्र में उल्लेखित वर्जन के आधार पर दी जा रही है कि शपथकर्ता इस भूमि का भू-स्वामी अथवा मुख्तार आम जो उसका वैधानिक कर्ताधर्ता है। साथ ही इस अनुमति का उपयोग वैसा ही किया जावेगा जैसा कि अनुमति है व जैसा कि अनुमति की उल्लेखित शर्तों में उल्लेख है।
 22. प्रश्नाधीन भूमि/भूखण्डों पर जारी की जाने वाली भवन अनुज्ञा की प्रति 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय को भी अनिवार्य रूप से प्रेषित करें।
 23. जल-मल निकासी की व्यवस्था निर्धारित मापदण्डों के अनुसार की जावे।
 24. निर्माणकर्ता को यह बाध्यता होगी कि वह समुचित पेयजल व्यवस्था, जल मल निकासी, पार्किंग स्थलों का विकास, हरित क्षेत्रों का विकास एवं वृक्षारोपण इत्यादि विकास कार्यों को सम्पूर्ण करने के पश्चात ही भवन का उपयोग प्रारंभ करें।
 25. प्रस्तावित योजना में पहुँच मार्ग हेतु कोई भी विवाद होता है तो वह संस्था के स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
 26. स्थल पर वर्तमान में विद्यमान इलेक्ट्रिक लाईनों को स्थानांतरित किये जाने के पश्चात ही आवेदक/संस्था द्वारा विकास कार्य शुरू किया जावे।

27. इस अनुज्ञा को भूमि स्वामित्व का दस्तावेज न समझा जावे तथा किसी भी प्रकार की भूमि विवाद होने पर यह अनुमति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
28. आवेदक द्वारा प्रस्तुत ज्वाइंट वेंचर दिनांक 8.5.2014 में उल्लेखित सभी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
29. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 33 के प्रावधानों के अनुरूप यह अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष तक की कालावधि तक प्रवृत्त रहेगी।
30. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर यह अनुज्ञा मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 25 के तहत रिवोक की जा सकेगी।

संयुक्त संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

जिला भोपाल—सीहोर—रायसेन म.प्र.

पृ. क्रमांक बीपीएलएलपी-5085/एल.पी.114/29(3)/जिका.भो./2018 भोपाल,दिनांक /01/2019
प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेन्ट्रल जोन (बैंच) भोपाल की ओर प्रकरण क्रमांक-21/2014 में दिनांक 17.12.15 को जारी आदेश के पालन में कृपया सूचनार्थ।
2. आयुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी कालोनी सेल, एकल खिड़की प्रणाली, नगर पालिका निगम,भोपाल को सूचनार्थ। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
3. उपमहाप्रबंधक/कार्यपालन यंत्री, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल को सूचनार्थ। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
4. वरिष्ठ जिला पंजीयक, जिला भोपाल को सूचनार्थ एवं संबंधित क्षेत्र के उप पंजीयक, भोपाल की ओर कलेक्टर, जिला भोपाल के पत्र के तारतम्य में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
5. अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार, तहसील हुजूर (संबंधित वृत्त), जिला भोपाल की ओर इस लेख के साथ प्रेषित है कि इस अनुज्ञा को संबंधित राजस्व निरीक्षक/पटवारी के खसरा रिकार्ड के कॉलम 12 में "नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा इस खसरे का ले-आउट स्वीकृत हो गया है:: की टीप अंकित किये जाने बावत् नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
6. खनिज अधिकारी, जिला भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
7. सर्वेक्षक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

संयुक्त संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

जिला भोपाल—सीहोर—रायसेन म.प्र.